अर्चना

24

21 OCT 2019

दैनिक राजस्थान पत्रिका, जयपुर

केंद्रीय सहकारी बैंक पाली : राज्य सरकार ने खारिज किया प्रस्ताव

दिवाली बाद बांटे थे 2.38 लाख के मोबाइल, अब वसूली

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर . केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी) पाली की ओर से तीन साल पहले दिवाली बाद संचालक मण्डल के सदस्यों, बैंक के प्रबंध निदेशक और उप रजिस्ट्रार को तोहफे में दिए 2.38 लाख रुपए के 17 मोबाइल अब प्रबंधन की गले की घंटी बन गए हैं।

मामला सामने आने पर राज्य सरकार ने बैंक की ओर से भेजे प्रस्ताव को नियम विरुद्ध मानते हुए खारिज कर दिया। बैंक के एमडी को निर्देश दिए हैं ये मोबाइल वापस लेकर उन्हें निस्तारित कर राशि बैंक में जमा कराई जाए। हालांकि दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। पाली केंद्रीय सहकारी बैंक ने 8 नवम्बर, 2016 को संचालक मण्डल की बैठक में प्रस्ताव पास कर बैंक के संचालक मण्डल के 14 सदस्यों, तत्कालीन एमडी भवानीसिंह कविया, उनके निजी सहायक और पाली के तत्कालीन उप रजिस्ट्रार महावीर प्रसाद सोनी को मोबाइल व सिम दिलाई थी। हर मोबाइल की कीमत 14 हजार थी।कहा गया था कि इनके माध्यम से जिले की समितियों के अध्यक्षों व व्यवस्थापकों से फसली ऋण, बीमा, खाद व बीज की व्यवस्था के लिए तालमेल बढ़ाया जाएगा। संचालक मण्डल भंग पर भी मोबाइल बैंक में जमा कराने थे।

तीन वर्ष पहले डायरेक्टर्स, एमडी और उप रजिस्ट्रार को दिए थे मोबाइल

मोबाइल, लैपटॉप, टेबलेट नहीं दे सकते

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा 2 जुलाई 2015 को जारी सर्कुलर के अनुसार सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित राज्य/विभागीय अधिकारी/कर्मचारी एवं संस्था के कर्मचारी/पदाधिकारी को मोबाइल, लेपटॉप, टेबलेट, आइपैड इत्यादि उपकरण उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। पाली बैंक ने इस सर्कुलर की अनदेखी की।

नहीं हो पाई वसूली

जोधपुर के तत्कालीन अतिरिक्त रजिस्ट्रार सोहनलाल लखानी ने जांच के बाद प्रस्ताव नियम विरुद्ध पाया। बैंक में सरकार के प्रतिनिधि व एमडी भवानीसिंह ने संचालक मण्डल को ऐसा प्रस्ताव पारित करने से टोका तक नहीं। लखानी ने इसकी वसूली के निर्देश दिए जो अब तक नहीं हो पाई।

सीसीबी पाली ने अब तक मोबाइल वसूल नहीं किए हैं। हमने उनको पत्र जारी कर कार्यवाही के बारे में पूछा है।

धनसिंह देवल, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जोधपुर